

मद्राज-यज्ञ

मद्राज-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक—साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र

वर्ष : १५

अंक : २३

सोमवार

१० मार्च, '६६

अन्य पृष्ठों पर

छुट्टियों में तरुणों के लिए

राष्ट्र-निर्माण का कार्यक्रम

२८२

बजट

—सम्पादकीय २८३

खादी के बिना भारत का

अविष्य अंधकारमय... —विनोबा २८५

तमिलनाडु प्रान्तदान की ओर

—एस० हरिहरन् २८६

प्रबन्ध-समिति के निर्णय

२८८

परिशिष्ट

“गाँव की बात”

मदुराई जिलादान

तार से सूचना मिली है कि २८ फरवरी को जनमेल में मदुराई जिलादान की घोषणा की गयी। कोडाईकनाल प्रखण्ड को छोड़कर ३३ प्रखण्ड इसमें शामिल हैं। कुल ४,०२३ गाँवों में से ३,१५३ गाँवों का ग्रामदान पूरा हुआ।

सम्पादक

अहिंसक क्रान्ति

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी-१, उत्तर प्रदेश

फोन : ४२४५

विजय का असंदिग्ध साधन

यदि हम लिखित इतिहास के आदिकाल से लेकर हमारे अपने समय तक के क्रम पर नजर डालें, तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य अहिंसा की तरफ बराबर बढ़ता चला आ रहा है। हमारे प्राचीन पुरखे मानव-भक्षी थे। फिर एक समय ऐसा आया जब लोग मानव-भक्षण से ऊब गये और शिकार पर गुजर करने लगे। आगे चलकर मनुष्य को आवारा शिकारी का जीवन व्यतीत करने में भी शर्म आने लगी। इसलिए वह खेती करने लगा और अपने भोजन के लिए मुख्यतः वह घरती माता पर निर्भर हो गया। इस प्रकार एक खानाबदोश की जिन्दगी को छोड़कर उसने सम्य और स्थिर जीवन अपनाया, गाँव और शहर बसाये और एक परिवार के सदस्य से वह समाज और राष्ट्र का सदस्य बन गया। ये सब उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अहिंसा और घटती हुई हिंसा के चिह्न हैं। इससे उलटा होता तो जैसे बहुत-से निचली श्रेणी के प्राणियों की जातियाँ लुप्त हो गयीं वैसे ही मानव-जाति भी लुप्त हो गयी होती।



पैगम्बरों और अवतारों ने भी थोड़ा-बहुत अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया है। उनमें से एक ने भी हिंसा की शिक्षा देने का दावा नहीं किया। और करे भी कैसे? हिंसा सिखानी नहीं पड़ती। पशु के नाते मनुष्य हिंसक है और आत्मा के रूप में अहिंसक है। जब मनुष्य को आत्मा का भान हो जाता है, तब वह हिंसक रह ही नहीं सकता। या तो वह अहिंसा की ओर बढ़ता है या अपने विनाश की ओर दौड़ता है। यही कारण है कि पैगम्बरों और अवतारों ने सत्य, मेलजोल, भाईचारा और न्याय आदि के पाठ पढ़ाये हैं। ये सब अहिंसा के गुण हैं।

यदि हमारा विश्वास हो कि मानव-जाति ने अहिंसा की दिशा में बराबर प्रगति की है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उसे उस तरफ और भी ज्यादा बढ़ना है। इस संसार में स्थिर कुछ भी नहीं है, सब कुछ गतिशील है। यदि आगे बढ़ना नहीं होगा तो अनिवार्य रूप में पीछे हटना होगा।

अहिंसा के बिना सत्य की खोज और प्राप्ति असंभव है। अहिंसा और सत्य आपस में इतने ओतप्रोत हैं कि उन्हें एक-दूसरे से अलग करना लंगभग असंभव है। वे सिक्के या इससे भी बेहतर किसी चिकनी चकती के दो पहलुओं की तरह हैं। कौन कह सकता है कि उनमें कौनसा पहलू उलटा है और कौनसा सीधा? फिर भी अहिंसा साधन है, सत्य साध्य है। साधन तभी साधन है जब वह हमारी पहुँच के भीतर हो, और इसलिए अहिंसा हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है। यदि हम साधनों की सावधानी रखें तो आगे पीछे हमारी साध्य-सिद्धि होकर रहेगी। जब एक बार हमने इस मुद्दे को अच्छी तरह समझ लिया, तो अन्तिम विजय असंदिग्ध है।

—नो० क० गांधी

छुट्टियों में तरुणों के लिए राष्ट्र-निर्माण का कार्यक्रम

हर साल भारत के लाखों विद्यार्थियों को महीनों तक ग्रीष्मकाल की छुट्टियाँ मिलती हैं। लेकिन उनमें से बिरले ही ऐसे होते हैं, जो इन छुट्टियों का उपयोग अपने चरित्र-निर्माण तथा राष्ट्र-निर्माण के काम में करते हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहेंगे ?

भारतीय तरुण शांति-सेना आपको इसका मौका दे रही है। इस साल मई और जून महीने में तरुण शांति-सेना की ओर से दो शिविर लिये जायेंगे, जिनमें आप यदि चाहें तो शरीक हो सकते हैं। दोनों शिविरों में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से चुने हुए छात्र-छात्राएँ इकट्ठे होंगे, साथ जियेंगे, साथ निर्माण का काम करेंगे, साथ अध्ययन करेंगे और साथ मनोरंजन करेंगे। भारत के कोने-कोने से शिविरार्थी इकट्ठे होंगे। उनमें धर्म, जाति, भाषा और प्रांत का कोई भेद नहीं होगा। आप शिविर में शामिल होकर अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कर सकते हैं।

प्रथम शिविर नगर के वातावरण में होगा और वह मुख्यतः अभ्यास-शिविर होगा, जिसमें शिविरार्थी छात्रों की समस्या के बारे में गहराई से सोचेंगे तथा दूसरा शिविर ग्रामीण वातावरण में होगा और वह मुख्यतः श्रम-शिविर होगा, जिसमें शिविरार्थी राष्ट्र-निर्माण के एक प्रत्यक्ष कार्यक्रम में शामिल होते हुए इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि ग्राम-निर्माण के कार्यक्रम में छात्र-क्या सहयोग दे सकते हैं।

शिविरों की जानकारी तथा आकर्षक अंग
आठवाँ अ० भा० तरुण शांति-सेना शिविर
 दिनांक : ११ मई से २५ मई, '६९
 स्थान : बम्बई

- (१) प्रतिदिन छेड़ घंटे का श्रमदान।
- (२) निम्न विषयों पर अधिकारी व्यक्तियों के व्याख्यान :
 - (क) आधुनिक युग में गांधी का प्रसंग-नुरूप महत्त्व,
 - (ख) विश्व-युवक आन्दोलन,

- (ग) दूसरे महायुद्ध के बाद का विश्व।
 - (३) निम्नलिखित विषयों पर चर्चाएँ :
 - (क) राष्ट्रीय एकता,
 - (ख) धर्म-निरपेक्षता,
 - (ग) लोकतंत्र,
 - (घ) विश्व-शान्ति।
 - (४) वैविध्यपूर्ण मनोरंजन कार्यक्रम।
 - (५) सर्वधर्म-प्रार्थना।
- नौवाँ अ० भा० तरुण शांति-सेना शिविर**
 दिनांक : १ जून से २१ जून, '६९
 स्थान : गोविंदपुर, जि०मिर्जापुर(उ०प्र०)

(१) श्रम-योजना :
 इस शिविर में जमीन के बाँध बाँधने तथा भूमि-सुधार के ठोस कार्यक्रम उठाये जायेंगे, जिससे ग्रामदानी ग्राम के आदिवासियों का स्थायी लाभ होगा।

- (२) प्रतिदिन ४ घंटे का श्रमदान।
- (३) निम्न विषयों पर व्याख्यान तथा चर्चाएँ :—
 - (क) राष्ट्रीय परिस्थिति,
 - (ख) राष्ट्र-निर्माण में युवकों का स्थान,
 - (ग) ग्राम-विकास के कार्यक्रम।
- (४) वैविध्यपूर्ण मनोरंजन-कार्यक्रम।
- (५) सर्वधर्म-प्रार्थना।

दोनों शिविरों के साथ एक दिन का प्रवास भी आयोजित किया जायेगा। भोजन की व्यवस्था दोनों शिविरों में निःशुल्क रहेगी। आवेदन-पत्र भरने की आखिरी तारीख पहले शिविर के लिए २० अप्रैल, '६९ तक, और दूसरे शिविर के लिए १० मई, '६९ तक होगी। शिविरों का आवेदन-पत्र एक रुपये का डाक-टिकट भेजने से मिल सकता है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी निम्न पते से मंगवाइए :

संचालक, तरुण शांति-सेना शिविर,
 अ० भा० शांति-सेना मण्डल,
 राजघाट, चाराणसी-१

जापान की 'सर्वोदय' पत्रिका के लिए विनोबाजी का संदेश

भारत की दुनिया को सबसे श्रेष्ठ देन है—महात्मा गौतम बुद्ध। उन्होंने भूतमात्र के लिए निर्वैरता सिखायी। निर्वैरता का रूप है इस जमाने में सर्वोदय।

सर्वोदय-विचार के प्रचार के लिए जापानी भाषा में पत्रिका चलती है, यह जानकर हमको खुशी हुई। हम आशा करते हैं कि उस पत्रिका का सब जगह स्वागत होगा और हजारों लोग उसका अध्ययन, मनन, चिन्तन करेंगे।

सबको प्रणाम।

विनोबाजी

तरुण शांति-सेना का राष्ट्रीय सम्मेलन
 दिनांक : २६, २७ मई '६९; स्थान : बम्बई
 भारतीय तरुण शांति-सेना (इण्डियन यूथ पीस कोर) का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक २६ और २७ मई, '६९ को बम्बई में होगा। राष्ट्रीय प्रश्नों में दिलचस्पी रखने-वाले सभी छात्रों के लिए सम्मेलन खुला रहेगा। तरुणों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने तथा छात्र-आन्दोलन को विधायक मोड़ देने के कार्यक्रमों की चर्चा होगी।

यह स्मरण रहे कि तरुण शांति-सेना को जनतंत्र, राष्ट्रीय एकता, धर्म-निरपेक्षता और विश्व-शांति के मूल्यों पर निष्ठा है और उसमें जाति, सम्प्रदाय या स्त्री-पुरुष का कोई भेदभाव नहीं माना जाता।

- प्रवेश शुल्क रु० ५-००
 - रहने की मुफ्त सुविधा
 - दो दिन का भोजन-खर्च रु० १०-००
 - शरीक होनेवालों के लिए रेल-रियायत की सुविधा।
- प्रवेश-शुल्क भेजें तथा सम्पर्क करें :
 —संचालक, तरुण शांति-सेना

बजट

सरकार का तो बजट होता ही है, बाजार भी बिना बजट के नहीं चल सकता, और कुछ परिवार भी ऐसे होते हैं जो अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब लगाकर काम करते हैं। लेकिन हमारे देश के लगभग ६॥ करोड़ खेतिहर परिवारों की एक विशेषता है। उनमें से बहुत ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो आमदनी-खर्च का हिसाब कभी नहीं लगाते। अगर लगायें तो खेती करना छोड़ दें, क्योंकि उनको छोटी खेती में खर्च से आमदनी कभी ज्यादा होती ही नहीं। लेकिन बाजार की बात दूसरी है। व्यापार चल ही नहीं सकता अगर व्यापारी को माल और पूंजी उधार न मिले। कर्ज मिलता है साख (क्रेडिट) पर। साख घाटे से नहीं बनती, मुनाफे से बनती है। साख उस व्यापारी की बनती है जो पूंजी से कमाई करना जानता है। हमारी सरकार परिवार और बाजार दोनों से निराली है। सरकार व्यापार करती है लेकिन बाजार की तरह कुशल नहीं है, घाटे पर घाटा देती है लेकिन परिवार की तरह मजबूर नहीं है। वह कमी को टैक्स से पूरा कर सकती है, और चूँकि सूद देने की शक्ति रखती है इसलिए भरपूर कर्ज ले सकती है। अगर इन दोनों की गुञ्जाइश न हो तो एक हद तक नोटें छाप सकती है। कुछ भी हो, टैक्स लगाने या कर्ज लेने का अंतिम आधार जनता की समृद्धि ही है। २७ फरवरी को वित्तमंत्री ने संसद में भारत-सरकार का सन् १९६६-७० का जो बजट पेश किया वह पहले की तरह घाटे का बजट था। घाटे का बजट न होता तो जनता टैक्स से बचती; सरकार नये कर्ज और सूद से बचती, और ग्राहक चीजों के ज्यादा दाम देने से बचता। इस बजट में वचत किसीकी नहीं हुई। राहत बड़े उद्योगों को मिली है, निर्यात को मिली है। शायद आज की स्थिति में वह जरूरी भी था। बजट में खर्च को आमदनी से ज्यादा दिखाया गया है। खर्च ज्यादा इसलिए नहीं है कि सरकार ने इस साल कोई खास बड़ा काम करने का इरादा किया है, सिवाय चौथी पंचवर्षीय योजना के, बल्कि इसलिए ज्यादा है कि उसका खर्च बेतहाशा बढ़ता जा रहा है—पहले के कर्ज का सूद और चालू खर्च दोनों। सरकार के व्यापारिक कामों में मुनाफा नहीं। राष्ट्र की आय में सरकार की देन घटती जाय और उसका खर्च अबाध गति से बढ़ता जाय, यह सरकार की क्षमता का प्रमाण नहीं तो क्या है? सन् १९५०-५१ से १९६०-६१ के दस वर्षों में राष्ट्रीय आय ४४ प्रतिशत बढ़ी और सरकारी खर्च ६८ प्रतिशत बढ़ा; यानी ५.६ प्रतिशत से बढ़कर ८.१ प्रतिशत हो गया।

सरकारी खर्च क्यों बढ़ रहा है? अगर ऐसा होता कि सरकार के खर्च के कारण देश को प्रतिरक्षा बढ़ती, शांति और सुव्यवस्था बढ़ती, जनता के जीवन में सुख और समाधान बढ़ता, विकास की

शक्ति और साधन बढ़ते, तो कोई बात नहीं थी, मगर स्थिति इससे विलकुल भिन्न है। सैनिकों की संख्या बढ़ाकर या नये-से-नये साधन लाकर सेना का खर्च चाहे जितना बढ़ा लिया जाय, लेकिन देश की जनता में देश की अखंडता और स्वतंत्रता के लिए मर-मिटने की जो उत्कण्ठता और उत्परता होनी चाहिए वह नहीं है। क्या उसके बिना भी कोई देश सुरक्षित माना जायगा? सेना को छोड़ें, सरकार में जो 'सिविल' विभाग हैं उनके कर्मचारियों की संख्या सन् १९५०-५१ के लगभग ५० लाख से बढ़कर सन् १९६७-६८ में लगभग १ करोड़ तक पहुँच गयी। इसका यह अर्थ है कि आज देश के लगभग ५ करोड़ लोग सीधे-सीधे सरकार के नमक पर जीवित हैं! ५० लाख श्रमिक हमारे कारखानों में उत्पादन का काम करें और १ करोड़ लोग सरकारी दफ्तरों में बाबूगिरी करें! क्या यह है हमारे विकास की दिशा, और गहराई! इतना ही नहीं, बाबूजद सारी योजनाओं के अगर प्रतिदिन बेकार और अर्द्ध-बेकार रहनेवालों की संख्या जोड़ी जाय तो १० करोड़ से कम नहीं होगी।

पूरा बजट पढ़ डालिए, लगता है कि वित्तमंत्री का यही लक्ष्य है कि चालू काम चलता जाय और सरकारी ढाँचा बना रहे। सरकार को अपने अस्तित्व और अपनी योजनाओं की चिंता चाहे जितनी हो, लेकिन जनता के लिए सरकार साधन है, साध्य नहीं। बजट में जनता अपना कल्याण देखना चाहती है, अपने विकास के लक्ष्य और चित्र समझना चाहती है। वित्तमंत्री के ही शब्दों में 'राष्ट्रपिता के स्मृति-वर्ष में हम फिर याद करें कि आर्थिक विकास का लक्ष्य सामाजिक मूल्यों का विकास ही होता है। लोगों की बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे पीने का पानी, शिक्षण, बीमारी में इलाज आदि पूरी हों, तथा दिनोंदिन समता बढ़े जो सचमुच समाजवादी समाज का सत्व है।' गांधीजी का नाम चाहे जहाँ जितनी बार लिया जाय लेकिन हकीकत यह है कि सन् १९६६ के इस गांधी-वर्ष में भी करोड़ों लोगों को भर-पेट अन्न और भरतन कपड़े की कौन कहे, पीने का पानी तक मयस्सर नहीं है, और न तो बजट में मयस्सर कराने का कोई आश्वासन है। बजट में ऐसी कौनसी चीज है जिससे माना जाय कि बजट बनानेवाले के लिए सन् १९६६ का कोई विशेष अर्थ है? मालूम नहीं बजट में प्रकट की गयी कठिनाई जीवन में कब उत्तरेगी? गांधीजी का नाम तो पिछले २२ वर्षों से लिया जा रहा है, लेकिन आज तक सरकार के विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री यह नहीं तय कर सके कि हमारी ६० प्रतिशत, यानी ३० करोड़, जनता की आमदनी १६ पैसा रोज है, या २८ पैसा या ४७ पैसा! ४७ पैसे से ज्यादा होने की तो बात भी नहीं है। जब ऐसी हालत है तो सरकार की साख विदेशी पूंजीपतियों और देशी महाजनों में चाहे जितनी हो, देश की जनता की नजर में तो नहीं रह गयी है। जनता बजट नहीं, अपनी जेब देखती है। पेट वादों और शुभकामनाओं से नहीं भरता। योजनाओं से भी नहीं भरता। भरता है काम और कमाई से जिसकी आशा नहीं देखती।

बजट में इस बात पर बहुत खुशी जाहिर की गयी है कि इस साल हमारा विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, और खेती में अधिक अन्न

पैदा हो रहा है। विदेशी व्यापार से डालर की कमाई बढ़े, जरूर बढ़े, लेकिन घरवालों की जरूरत भी तो पूरी हो। शीकीनी को कुछ चीजों पर कुछ टैक्स बढ़ा देने से क्या होता है? हमारे बाजार शीकीनी की ही नयी-नयी चीजों से भरते चले जा रहे हैं, जैसे सरकार और बाजार दोनों देश के उन्हीं १ फीसदी लोगों के लिए हैं जिनकी मासिक आय ७५ रुपये या उससे अधिक है। भारत जैसा गरीब देश 'बिल्डिंग' और 'ब्रेस्ट्रीटो' में जिस तरह अपनी पूँजी गँवा रहा है उस तरह शायद ही कोई दूसरा देश गँवाता हो।

खेती में जगह-जगह जो 'हरी क्रांति' (ग्रीन रिवोल्यूशन) दिखाई देती है उससे निःसंदेह नयी संभावनाएँ प्रकट हुई हैं, लेकिन यहाँ यह होती है—शंका ही नहीं होती, निश्चित है—कि कहीं इस 'समृद्धि' से ऐसे संघर्ष न पैदा हो जायें जो सही समाज-परिवर्तन के अभाव में देश को 'लाल-क्रांति' और 'फासिस्टवाद' के दलदल में फँसा दें। नये बीज और नयी खादें देहाती क्षेत्रों में निहित स्वार्थों

का भयंकर जाल बिछा रही हैं। लेकिन सरकार अपनी कल्पना की आत्म-निर्भरता में मस्त है। प्लानिंग का नाम बहुत है, लेकिन चार-छः साल भर आगे के सामाजिक संदर्भ को सोचकर काम करने की वृद्धि अभी तक दिल्ली या अन्य राजधानियों में कहीं दीखती नहीं है। बजट में आंकड़े बहुत हैं, लेकिन दूर तक देखनेवाली आँखें नहीं हैं।

लगभग पौने दो खरब के देशी-विदेशी सार्वजनिक ऋण से लदे हुए, तथा असंख्य गरीबों, बेकारों, बीमारों और निरक्षरों के बोझ से दबे हुए, देश के वित्तमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हमारी अर्थ-नीति भीतर से चुस्त है। तीन साल की 'छुट्टी' के बाद १ अप्रैल से चौथी पंचवर्षीय योजना फिर चालू होगी। सरकार में जो कुछ हो रहा है, होता रहेगा, और बहुत कुछ नया भी होगा, लेकिन देश चौराहे पर खड़ा रास्ते के लिए भटकता रहेगा।

जल्दी क्या है, अगली फरवरी में अगला बजट पेश होगा।

हिंसात्मक खूनी क्रान्ति एवं गांधीजी

गांधीजी ने कहा था :

"आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूँजी और श्रम के बीच के शाश्वत संघर्ष का अन्त करना। इसका मतलब जहाँ एक ओर यह है कि जिन थोड़े-से अमीरों के हाथ में राष्ट्र की सम्पदा का कहीं बड़ा अंश केन्द्रीभूत है उनके उतने ऊँचे स्तर को घटाकर नीचे लाया जाय, वहाँ दूसरी ओर यह है कि अध-भूखे और नंगे रहनेवाले करोड़ों का स्तर ऊँचा किया जाय। अमीरों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच की यह चौड़ी खाई जब तक कायम रखी जाती है तब तक तो इसमें कोई सन्देह ही नहीं कि अहिंसात्मक पद्धतिवाला शासन कायम हो ही नहीं सकता। स्वतंत्र भारत में, जहाँ कि गरीबों के हाथ में उतनी ही शक्ति होगी जितनी कि देश के बड़े-बड़े अमीरों के हाथ में, वैसी विषमता तो एक दिन के लिए भी कायम नहीं रह सकती, जैसी कि नयी दिल्ली के महलों, और यहीं नजदीक की उन सड़ी-गली फ्लॉपिडियों के बीच पायी जाती है, जिनमें मजदूर-वर्ग के गरीब लोग रहते हैं। हिंसात्मक और खूनी क्रान्ति एक दिन होकर ही रहेगी, अगर अमीर लोग अपनी सम्पत्ति और शक्ति का स्वेच्छापूर्वक ही त्याग नहीं करते और सबकी भलाई के लिए उसमें हिस्सा नहीं बँटाते।"

देश में दंगे-फसाद और खून-खराबी का घातावरण बढ़ता जा रहा है। इसमें आर्थिक, सामाजिक विषमता भी बड़ा कारण है। गांधीजी की उक्त वाणी और चेतावनी आज अधिक ध्यान देने की बाध्य करती है। क्या देश के लोग, विशेषतः अमीर, समय के संकेत को पहचानेंगे?

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी-जन्म-शताब्दी समिति), टुंकलिया भवन, कुन्दीगरों का भेड़,
जयपुर-३ राजस्थान द्वारा प्रसारित।

तथा

ग्रामस्वराज्य के बिना खादी शक्तिहीन

प्रश्न : बिहार खादी-ग्रामोद्योग संघ की पूँजी खादी, रुई तथा सूत में लग चुकी है। खादी की बिक्री संतोपप्रद नहीं है। आगे का काम अवरूढ़ हो गया है। ऐसी परिस्थिति में खादी का भविष्य क्या होगा तथा कार्यकर्ताओं के भविष्य का क्या होगा ?

उत्तर : भारत का भविष्य क्यों नहीं पूछा ? हमारे विचार में खादी का भविष्य अन्धकार में होगा तो भारत का भी भविष्य अन्धकार में होगा। क्योंकि दिन-ब-दिन आबादी बढ़ रही है, तो प्रति व्यक्ति जमीन का क्षेत्र कम होता जा रहा है। दक्षिण बिहार में जमीन थोड़ी है, पानी नहीं है, लेकिन उत्तर बिहार में सारण और दरभंगा में प्रति व्यक्ति एक-चौथाई एकड़ जमीन है। यानी चार व्यक्तियों के लिए एक एकड़। यही जनसंख्या जो ५० लाख है, वह १०-१२ साल के अन्दर-अन्दर ६० लाख होगी। और जमीन आज एक-चौथाई है तो कल पाँचवाँ हिस्सा रह जायगी। यह है आगे का भविष्य। इस तरह भारत की आबादी भी ३० साल के बाद सौ करोड़ होगी, यानी दुगुनी होगी। यह आबादी कैसे रोकी जाय यह चर्चा होती है, उसके उपाय भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य और संयम का उपाय सीखते नहीं तबतक और कोई भी उपाय करे, वह रकेगी नहीं। ऐसी हालत में कुछ 'एम्प्लायमेंट' जमीन से ही मिलेगा ऐसा नहीं।

खादी-उद्योग से शोषण-मुक्ति

ग्रामदान करने का, गाँव के मजदूरों में काम करके उत्साह पैदा करने का, गाँव एक करने का, यह काम हम कर रहे हैं। पानी का इंतजाम, बॉडिंग इत्यादि का इन्तजाम सरकार करती है। परन्तु यह कितना भी करे, आबादी बढ़ेगी तो जमीन का रकबा कम पड़ेगा। इस हालत में इनको उद्योग देने होंगे। हिन्दुस्तान में ६० साल का मनुष्य बूढ़ा होता है। उसका पोषण करने की जिम्मेवारी तृष्णों पर आ जाती है। तरुण अपना पोषण भी करता नहीं

जानता, उस पर उसके बूढ़े बाप की और बच्चों की जिम्मेवारी आ जाती है। तो ये जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, उनको कुछ-न-कुछ आसान उद्योग घर में बैठे-बैठे कम शक्ति में कर सकने लायक देना होगा। क्या उद्योग दिया जाय ? हमारे दिल्लीवाले मित्र सोचते हैं कि बोड़ी बनाने का उद्योग दिया जाय। ठीक है, बोड़ी खराब तो है; लेकिन 'एम्प्लायमेंट' के लिए सोचें तो बोड़ी का काम या और ऐसे उद्योग दें तो भी कातने के उद्योग का स्थान रहेगा। नहीं तो पैसा पूँजी-वालों के पास जायेगा और गाँव का शोषण होगा, और भारत का भविष्य खतरे में होगा।

विनोबा

परदेश का आक्रमण हो सकता है। देश के अन्दर-अन्दर खून-खराबी हो सकती है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति १० एकड़ जमीन है। वहाँ बाबा कातने का और खादी का आग्रह नहीं रखता। वहाँ दूसरे उद्योग भी हैं। लेकिन यहाँ हिन्दुस्तान में केवल जमीन के आधार से नहीं होगा। अमेरिका में तो थोड़े दिन बिना काम के रहेंगे तो भी खाना मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसी हालत नहीं है। कार्यकर्ता, खादी और भारत का भविष्य

कार्यकर्ताओं के और खादी के भविष्य के साथ भारत का भी भविष्य जुड़ा हुआ है ऐसा बाबा मानता है। जिनके हाथ में 'प्लानिंग' है वे नहीं मानते और जनता ने भी अपना सारा कारोबार सरकार के हाथ में सौंप दिया। उनको वोट देना यानी अपने पर राज्य करने का, अपने को लूटने का अधिकार उनको देना। उनको कहना चाहिए कि कृपा करके ऐसे ढंग से लूटिए कि जिससे हम भी जीयेंगे और आप भी जीयेंगे। आप अपना अच्छा जीवन जीयें और हम अपना जीवन जीयें। तरह-तरह के टैक्स बिठाने का अधिकार यानी लूटने का अधिकार ही है।

आज तक ऐसा लूटने का अधिकार किसीने किसीको दिया नहीं। यह पहचानते नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ा विचार है कि अपना कारोबार अपने हाथ में जनता रखे। आज जनता पराधीन हो गयी है और हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर रहती है। इसमें से कैसे छुटकारा होगा यह सवाल है।

खादी के बिना भारत का नसीब उज्ज्वल नहीं है, लेकिन सिर्फ खादी पकड़ रखेंगे तो लोकशक्ति पैदा नहीं कर सकेंगे और इस लूटने के अधिकार को तोड़ नहीं सकेंगे। ग्रामदान और ग्रामस्वराज्य के साथ खादी जोड़ेंगे तो गाँव के लोग यह कह सकेंगे कि हमारे गाँव का 'प्लानिंग' हम करेंगे। तुम दिल्लीवाले और पटनावाले कौन होते हो प्लानिंग करतेवाले ? अब हम भी हमारे लोग खड़े करेंगे। सारे बिहार के गाँव ग्रामदान में आयेंगे तो गाँव-गाँव के लोग ग्रामसभा बनायेंगे, अच्छे आदमी को खड़ा करेंगे। गाँव के लोग ही अपना आदमी खड़ा करेंगे तो उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। गाँव में ५० प्रतिशत वोट है और शहरों में २० प्रतिशत। वोट की खूबी तो यह है कि वोट देने का अधिकार सबको है। पढ़े-लिखे को, अनपढ़ को भी है। स्त्री-पुरुष, गाँववाले, शहरवाले, सबको है। गाँव के लोग अपना आदमी खड़ा करेंगे और अपना रंग-रूप सरकार को देंगे, अपना 'प्लानिंग' खुद करेंगे तो बहुत बड़ी ताकत पैदा होगी। यह ताकत आपको पैदा करनी होगी; नहीं तो भारत का, आपका, कतिनों का भविष्य अंधेरे में है। बाबा पागल नहीं है कि २०-२५ साल खादी का काम करते हुए, खादी का विचार जानते हुए दूर-दूर ग्रामदान और ग्रामस्वराज्य की बातें करते हुए घूम रहा है। वह जानता है कि इसके बिना भारत का भविष्य अंधेरे में है।

खादी : रोजी के लिए नहीं, सैनिक-

शक्ति खत्म करने के लिए

अभी डेवर भाई यहाँ आये थे, उनके सप्रेम हमारी बातचीत हुई। उनसे हमने यही कहा कि खादी का उद्देश्य 'एम्प्लायमेंट' देने का नहीं है। खादी का उद्देश्य तो है मिलीटरी की ताकत खत्म करना और

तमिलनाडु ने ग्रामदान के लिए प्रदेश की युवा-शक्ति को संलग्न कराने की जो नयी पद्धति अपनायी है, उसके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। पिछले दो महीनों के भीतर लगभग १ हजार युवकों के सघन अभियान के द्वारा कई जिलादान प्राप्त हुए हैं। १२ फरवरी को तिरुचि जिले का जिलादान घोषित हुआ, जिसके ३६ प्रखण्डों में से ३३ प्रखण्डों ने ग्रामदान-घोषणा स्वीकार कर ली थी। मदुराई जिले के कोदाईकनाल प्रखण्ड को छोड़कर बाकी सभी ३३ प्रखण्ड ग्रामदान के अन्तर्गत आ गये हैं। मदुराई जिले का जिलादान ६ फरवरी को घोषित होना निश्चित था। तमिलनाडु के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अन्नादुरै के अचानक निधन से जिलादान का समारोह २८ फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। फरवरी माह के पहले सप्ताह तक रामनाथपुरम् जिले के ३२ प्रखण्डों में से १६ प्रखण्ड की जनता ने ग्रामदान की घोषणा कर दी थी। रामनाथपुरम् की भी जिलादान-घोषणा २८ फरवरी तक होने की आशा थी। इन सफलताओं के कारण १२ फरवरी तक तमिलनाडु के कुल ग्रामदान की संख्या ११,६२३ और जिलादान की संख्या तीन तक पहुँच गयी।

मदुराई जिला

मदुराई जिले का जिलादान प्राप्त करने का अभियान चलाने के लिए जो क्षेत्रीय संयोजन किया गया था, वह इस प्रकार था :—

तिरुमंगलम् क्षेत्र का ग्रामदान-अभियान चलाने का दायित्व गांधी-निकेतन आश्रम कालूपट्टी, डिंडीगल क्षेत्र का वहाँ के ग्राम-राज्य निर्माण संघ, और पेरियाकुलम् क्षेत्र का दायित्व मदुराई जिला सर्वोदय संघ पर निर्भर था। प्रत्येक क्षेत्र के लिए सौ-सौ युवकों की टोली को त्रिदिवसीय शिविर में प्रशिक्षित किया गया था। बटलागुण्डु के सर्वोदय आश्रम के प्रेरक और समर्थ नेता श्री केथान ने युवकों के प्रशिक्षण में बहुत बड़ा दायित्व निभाया। यों ग्रामराज्य निर्माण संघ ग्रामदान के विकास से सम्बन्धित जिले की सर्वप्रमुख संस्था है।

तमिलनाडु के जिन क्षेत्रों में पहले ही ग्रामदान हो चुके हैं, वहाँ क्षेत्रीय सहयोग और इंग्लैण्ड की 'वार ऑन वॉण्ट' नामक एक जन-संस्था द्वारा प्राप्त कुछ आर्थिक सहायता के बल पर कई प्रकार के विकास-कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। गाँव के लोगों का पुराना कर्ज चुकाना, अनाज-बैंक स्थापित करना, सहाकारी उपभोक्ता भण्डार चलाना, गोदामों का निर्माण करना, पशु-पालन की सुविधा उपलब्ध करना और कृषि-विकास की

प्रक्रिया को गतिशील करना आदि मुख्य कार्यक्रम हैं, जो बटलागुण्डु क्षेत्र के ५३ गाँवों में चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लिए 'वार ऑन वॉण्ट' की ओर से साढ़े तीन लाख रु० की धनराशि प्राप्त हुई है।

जिन गाँवों के ग्रामदान की हाल ही में घोषणाएँ हुई हैं, उनमें से अनेक गाँवों में और विशेष रूप से उसीलामपट्टी, नाथम्, और कोट्टुम्पट्टी के क्षेत्रों में 'ग्रामराज्य निर्माण संघ' ने ग्रामसभाओं का गठन करके उन्हें सक्रिय और प्रेरित किया है कि वे अपने गाँव के बेकार मजदूरों की श्रम-शक्ति का उपयोग करके, पुराने सिंचाई के कुओं को और गहरा बनाने, नये कुएँ बनाने, खेतों की हदबन्दी करने और बेकार जमीन को खेती लायक बनाने के कार्यक्रम पूरा करें। अबतक उस क्षेत्र में १८४ पुराने कुएँ और गहरे किये जा चुके हैं, २५० नये कुएँ खोदे गये हैं, और १,६५० एकड़ बेकार पड़ी हुई जमीन खेती करने योग्य बना ली गयी है। ग्राम-निर्माण के इन कार्यक्रमों को गतिशील बनाने के लिए 'कासा' नामक संस्था (सामाजिक कार्यक्रमों को गतिशील बनानेवाली क्रिश्चियन संस्था) ने इन कार्यक्रमों में मेहनत करनेवालों के लिए गेहूँ बाँटने की व्यवस्था की है।

तिरुचि जिला

तिरुचि जिले का जिलादान-अभियान चलाने का पूरा दायित्व तिरुचि जिला सर्वोदय संघ ने वहन किया। संघ ने तीन दिन की पूर्वतयारी का शिविर आयोजित करके लगभग १०० युवकों को ग्रामदान-प्राप्ति अभियान के लिए प्रशिक्षित किया। यह शिविर दिसम्बर महीने में पुंगुडी में आयोजित हुआ था।

पुदुकोट्टाई क्षेत्र में कुट्टीजी ने, पूर्वी क्षेत्रों में जिला सर्वोदय मण्डल के प्रतिनिधि श्री पलनीसामी और पश्चिमी क्षेत्र में सर्वोदय संघ के कार्यकर्ताओं ने ग्रामदान-अभियान संयोजित किया। जब १२ फरवरी को तिरुचि का जिलादान घोषित हुआ उस समय तीन प्रखण्डों को छोड़कर बाकी सभी प्रखण्डों का प्रखण्डदान हो चुका था। श्री अन्नादुरै के अचानक निधन से इस क्षेत्र के अभियान

→ जनशक्ति खड़ी करना। कृत्तियों को काम देने की जिम्मेवारी आपको नहीं है, सरकार की है।

आपका, खादी का और देश का भविष्य आपके ही हाथ में है। खादी को अलग करके सोचेंगे तो खादी जीवित नहीं रहेगी। पेट में फोड़ा है तो हाथ के लिए उपाय करने से नहीं होगा। पेट मजबूत होगा तो हाथ भी मजबूत होगा। अतः खादी की शक्ति बढ़ाने के लिए ग्रामशक्ति को बढ़ाना होगा। खादी यानी समय विचार का एक टुकड़ा है। वापू हमेशा कहते थे, हमें समय चिंतन करना चाहिए; एक टुकड़ा लेकर चिंतन नहीं करना चाहिए।

आपके सामने खादी बेचने का सवाल है। खादी गाँववाले बनायें यह तो आगे का विचार है। सत्तर हजार गाँव हैं और साढ़े तीन सौ करोड़ की खादी है। यानी हर गाँव में पाँच सौ रुपये की खादी बेचनी होगी। हर आदमी को पचास रुपये की खादी खरीदनी होगी। ऐसे ५० खरीददार हर गाँव में हों तो आपका काम बनेगा। इस काम के लिए भी आपको गाँव से संपर्क करना होगा। ग्रामदान हो या न हो, गाँव में आपको जाना ही होगा। फिलहाल इस खादी को बेचने का काम कीजिए।

—बिहारशरीफ, बिहार

को स्थगित कर देना पड़ा। ग्रामदान-अभियान में पंचायत संघ के अध्यक्ष, पंचायतों के सदस्य, कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों ने भरपूर सहयोग प्रदान किया।

जिलादान का व्योरेवार विवरण निम्न लिखित है—

कुल प्रखण्डों की संख्या—३६

ग्रामदान-घोषित प्रखण्ड—३३

कुल गाँवों की संख्या—५,६१३

ग्रामदानी गाँवों की संख्या—४,३१२

मणिकान्तम् प्रखण्ड में विकास-कार्यक्रम शुरू हो गया है। सिंचाई की व्यवस्था को विकास-कार्यक्रम में सर्वोच्च महत्त्व का माना गया है। इस क्षेत्र में कुएँ खोदने की ६ परियोजनाएँ हाथ में ली गयी हैं। बैल और दुधारू गायें खरीदने, और सिंचाई के लिए दो पम्पिंगसेट बँटाने के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गयी है। आनेवाले महीनों में यह विकास-कार्यक्रम कुछ और प्रखण्डों में भी फैलाया जायेगा। इन विकास-कार्यक्रमों के लिए जर्मनी के एक दाता से सन् १९६८ में ४३,८०० रुपये प्राप्त हुए।

तिरुचि जिले का जिलादान १२ फरवरी को 'सर्वोदय-मेला' के दिन घोषित हुआ। यह मेला कावेरी नदी के किनारे पर बसे हुए श्रीरंगम् नामक तीर्थस्थान पर आयोजित होता है। तमिलनाडु सर्वोदय संघ के अध्यक्ष श्री के० वेंकट चलयथी 'सर्वोदयमेला' के सभापति थे। उस मेले में श्री शंकरराव देव, श्री आर. आर. कैयान, श्री जगन्नाथन् श्री के० अरुणाचलम् और श्री कुंडराकुडी अदीगालार जैसे कर्मठ और वरिष्ठ लोगों के उपस्थित रहने से लोगों की बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई।

जर्मनी के श्री मेयर मेले के मुख्य अतिथि थे। उन्हें ही ग्रामदान घोषणा-पत्र अर्पित किये गये। उक्त अवसर पर भाषण करते हुए श्री मेयर ने कहा कि वे मानव के भाई-चारे की भावना बढ़ाने के गांधीजी के तरीके के विश्वासी हैं, इसलिए ग्रामदान-आन्दोलन के काम से छुड़कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा कि जबतक दुनिया में कहीं भी गरीबी रहेगी तबतक मानव की स्वतंत्रता और विश्व भर के लोगों के भाईचारे का आदर्श क्षयाली पुलाव ही बना रहेगा।

श्री शंकरराव देव ने अपने भाषण में कहा कि क्रान्ति की शुरुआत व्यक्ति से होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने ग्रामदान के घोषणा-पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये हैं, वे यदि अपने पड़ोसी और दूसरे लोगों के प्रति अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं तो जिलादान-घोषणा का कोई महत्त्व नहीं रह जायेगा। उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होना चाहिए वह एकांगी नहीं, बल्कि समग्र और सम्पूर्ण होना चाहिए यानी वह केवल भावना के क्षेत्र तक ही नहीं, बल्कि बुद्धि और भौतिक पदार्थों तक व्याप्त होना चाहिए। दान का सिर्फ इतना ही आशय नहीं है कि समाज को कुछ दिया जाय, बल्कि उसका असली आशय है अपने आपको समाज को अर्पित करना। गाँव के कुल साधन और बुद्धि, शक्ति सबकी भलाई के काम में लगे यही ग्रामदान का आशय है। ग्रामदान द्वारा जिस अहिंसक क्रान्ति का सूत्रपात हो रहा है वह यों ही पूरी हो जाने-वाली प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया की सफलता के लिए तकलीफ भी उठानी पड़ेगी और कभी-कभी आँसू बहाने की भी परिस्थिति भेलनी होगी। उसकी तैयारी के लिए यह जरूरी है कि आदमी के अन्दर जो सद्बुद्धि मौजूद है, उसके प्रति वह बराबर जागरूक रहे। यदि यह जागरूकता पूरी तरह से कायम रहेगी तो अन्धछाई के प्रकाश के सामने बुराई का अंधेरा नहीं टिक पायेगा।

रामनाथपुरम् जिले की ग्रामदान-प्रगति

रामनाथपुरम् जिला भी जिलादान की ओर अग्रसर है। वहाँ के लगभग ४०० कार्यकर्ता, जिनमें से अधिकतर युवक हैं, वे तीन दिन की पूर्वतयारी के प्रशिक्षण-शिविर में प्रशिक्षित हो चुके हैं। उस क्षेत्र के शिक्षक भी ग्रामदान-अभियान में सहयोग प्रदान करने के लिए आगे आये हैं। फरवरी के पहले सप्ताह तक वहाँ के कुल ३२ प्रखण्डों में से १९ प्रखण्डों का प्रखण्डदान हो चुका था।

रामनाथपुरम् के ग्रामदानी गाँवों के विकास-कार्य को गतिशील बनाने में जिला ग्रामदान विकास ट्रस्ट संलग्न है। अब तक वहाँ ६० सिंचाई के तालाबों को और गहरा बनाया जा चुका है, १५ तालाबों में से

बरसात की आयी हुई मिट्टी बाहर निकाली गयी है, २ विद्यालय-भवनों का निर्माण हुआ है, १२ सार्वजनिक कुएँ बने हैं और ७ एकड़ बंजर जमीन खेती लायक बनायी गयी है। ये स्वावलम्बी विकास-कार्य स्थानीय ग्राम-सभाओं के नेतृत्व में पूरे किये गये हैं, जिनमें 'कासा' ने आर्थिक सहायता प्रदान की है। ग्रामदानी गाँवों के लोगों ने १ लाख ३३ हजार रुपये के मूल्य का अग्रदान किया। 'कासा' की ओर से २५२३ बोरे गेहूँ अनुदान में प्राप्त हुए। इस क्रम में जो कार्य-योजनाएँ पूरी हुईं उनका लागत-खर्च ३ लाख रुपये माना गया है। तमिलनाडु गांधी स्मारक निधि ने भी कुएँ खोदने के लिए २५ हजार रुपये की सहायता की। क्षेत्र की पंचायत परिषद और नेताओं ने मिलकर बोगालुर प्रखण्ड का औद्योगिक सर्वेक्षण भी किया है। वे ३० हजार रुपये इकट्ठा करके ढलाई करने और दिया-सलाई बनाने की दो इकाइयाँ गठित करने की भी योजना बना रहे हैं। —एस० हरिहरन्

देशभर में

ग्रामस्वराज्य-गोष्ठियों का सिलसिला चले

सांगली में हुई प्रबन्ध समिति की बैठक में—राज्यदान के बाद क्या?—इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए प्रबन्ध समिति ने प्रदेश और जिला-स्तरीय ग्रामस्वराज्य-गोष्ठियों का सिलसिला चलाने के लिए प्रदेशीय और जिला-संगठनों से सिफारिश की। इस सम्बन्ध में गत जुलाई '६८ में वाराणसी में आयोजित ग्रामस्वराज्य-गोष्ठी की उपलब्धियों के आधार पर दिशा निर्देश के लिए एक 'ग्राम-स्वराज्य' नामक पुस्तिका तैयार की गयी है, जिसे इन गोष्ठियों के आयोजक निम्न पते पर मंगा सकते हैं :

मंत्री, गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति, (गांधी शाताब्दी समिति) टुकलिया-भवन, कुंदीगरो का भैरू, जयपुर-३ (राजस्थान)

प्रबन्ध समिति ने अपेक्षा व्यक्त की है कि इन गोष्ठियों की उपलब्धियों, प्रश्नों, समस्याओं आदि को लेकर पुनः एक अखिल भारतीय गोष्ठी का आयोजन जून-जुलाई तक किया जाय। इस गोष्ठी के संयोजन की जिम्मेदारी श्री राममूर्तिजी को सौंपी गयी।

सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति द्वारा

चेकोस्लोवाकिया को जनभावना का हार्दिक समर्थन

सांगली : २७ फरवरी '६६ । सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति ने अपनी अंतिम बैठक में चेकोस्लोवाकिया की परिस्थिति के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि अपनी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की नीति को कायम रखने के लिए सोवियत रूस तथा वारसा-सन्धि के देशों द्वारा की गयी आक्रामक कार्रवाइयों का चेकोस्लोवाकिया की जनता ने जिस बहादुरी के साथ अहिंसक प्रतिकार किया है, वह शांतिपूर्ण प्रतिकार के इतिहास में सुवर्ण-पृष्ठ बनकर उभरा है ।

चेकोस्लोवाकिया की जनता को उसके मूलभूत मानव-अधिकारों से वंचित रखने की जो असह्य परिस्थिति सोवियत रूस सहित वारसा-संघि के देशों ने अपनी आक्रामक कार्रवाइयों द्वारा पैदा कर दी है, उसके कारण ही उन्हें मानवीय-ज्योति जलाने के लिए आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ रहा है । इस परिस्थिति में सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति ने गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए चेकोस्लोवाकिया की जनता के साथ हमदर्दी जाहिर की है ।

समिति ने यह राय जाहिर की है कि अपने देश में अहिंसा की शक्ति प्रकट करके ही हम चेकोस्लोवाकिया की जनता के मददगार हो सकते हैं । इस गंभीर परिस्थिति में, श्री बाबजूद सारे दबावों के वहाँ की सरकार ने अपनी नीति पर कायम रहने की जो दृढ़ता प्रकट की है, समिति ने उसकी सराहना की है ।

अंत में प्रबन्ध समिति ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानव-अधिकार समिति से अपील की है कि चेकोस्लोवाकिया की वर्तमान समस्या के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्रवाई करे ।

सर्व सेवा संघ का आगामी अधिवेशन

सांगली में हुई संघ प्रबन्ध समिति की बैठक में निश्चय किया गया कि आगामी सर्व सेवा संघ का अधिवेशन आंध्र प्रदेश में २५-२६-२७ अप्रैल '६९ को किया जाय । स्थान का निर्णय आंध्र के कार्यकर्ता साथी करेंगे । अनुमान है कि अधिवेशन तिरुपति में आयोजित होगा ।

उक्त अधिवेशन में सर्व सेवा संघ के नये अध्यक्ष का चुनाव तथा नयी कार्य-समिति का गठन भी होगा । अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में कई जिलों तथा अन्य मित्रों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा करके प्रबन्ध समिति ने निर्णय किया कि चुनाव की कोई पूर्वनिर्णित पद्धति नहीं लागू करके नाम प्रस्तावित करने से लेकर सर्वसम्मत चुनाव-पद्धति के निर्णय तक के सारे मामले संघ-सदस्यों की आम

सभा यानी संघ-अधिवेशन में ही तय किये जायें ।

अधिवेशन में भाग लेनेवाले संघ-सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जिले के लोकसेवकों की राय जानकर अधिवेशन में अपने जिले के लोकसेवकों की सर्वसम्मत राय का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

महाराष्ट्र-यात्रा में जे० पी० को

१,४६,७२८ रुपये की थैली तथा

दो प्रखण्डदान समर्पित

सांगली नगर की ओर से २६ फरवरी '६६ को आयोजित 'जयप्रकाश नारायण सत्कार-समारोह' में १० हजार से अधिक की संख्या में एकत्रित नागरिकों की उपस्थिति में मानपत्र और ६७ हजार एक रुपये की थैली जयप्रकाश नारायण को समर्पित की गयी । स्मरणीय है कि जे० पी० इस समय अपनी

आयु के ६७ वर्ष पूरे कर रहे हैं । इस थैली में से चौथाई भाग सर्व सेवा संघ को देने का निर्णय महाराष्ट्र सर्वोदय मण्डल ने घोषित किया । चौथाई भाग प्रदेश के लिए, और आधा भाग सांगली के लिए रहेगा । इस अवसर पर महाराष्ट्र सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष श्री ठाकुरदास बंग ने गढ़चिरोली (चांदा) कवठे महाकाल (सांगली), इन दो प्रखण्ड-दानों की घोषणा की ।

इसी प्रकार सातारा, कोल्हापुर, इचल-करंजी में भी थैलियाँ भेंट की गयीं । इस प्रकार महाराष्ट्र की इस यात्रा में १,४६,७२८ रु० की थैली भेंट की गयी ।

अपने प्रति सांगली के नागरिकों की ओर से अभिव्यक्त स्नेह और आदर-भाव को अपनी सेवाओं और सद्बिचारों के प्रति स्नेह और आदर घोषित करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने लगभग ढाई घण्टे के अपने भाषण में जागतिक और राष्ट्रीय परिस्थिति के संदर्भ में ग्रामदान को प्रस्तुत किया ।

चुनाव, लोकतंत्र और ग्रामस्वराज्य

देश के चार राज्यों में हुए मध्यावधि चुनाव के समय सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार मतदाता-शिक्षण का जो काम हुआ, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आज सब तरफ से यह माँग आ रही है कि लोकतंत्र को बुनियाद को मजबूत करने के लिए हम लोगों के द्वारा मतदाता शिक्षण का काम व्यापक और सघन रूप से किया जाय । आपने कहा कि राज्यदान के बाद लोकतंत्र की नयी भित्ति के निर्माण के लिए ग्राम-सभाओं के संगठन और उनके अन्दर चेतना-निर्माण का काम करने के बाद ही इन ग्रामसभा मण्डल आदि की रचना हो सकती है, और उसके आधार पर ही ग्राम-प्रतिनिधित्व आदि की बात हम सोच और कह सकते हैं । इसलिए जिलादान ही जाने के बाद हमें उस दिशा में तत्काल सक्रिय हो जाना चाहिए ।

वार्षिक शुल्क : १० रु०; विदेश में २० रु०; या २५ शिल्लिंग या ३ डॉलर । एक प्रति : २० पैसे ।

अधिकृत्यतः मद्रास द्वारा सर्व सेवा संघ के लिए प्रकाशित एवं प्रिण्टिंग प्रेस (प्रा०) लि० बारायली में मुद्रित ।



विष्णु युष्णु आम्नि अनासुरि - अनेद
इस गाँव में स्वस्थ और परिपुष्ट विश्व का दर्शन हो।
अनासुरि अनासुरि

इस अंक में

बजट की परख
गाँव-बस गाँव !
"माँ, पंडितजी मोटे क्यों हैं ?"
"माँ, भिक्षा दो !"
स्त्री-शक्ति कैसे जागे ?
ग्राम के कीड़े
गाँव का बाजार-शाख

१० मार्च, '६६

वर्ष ३, अंक १४]

[१८ पैसे

बजट की परख


हमारे देश की जनता आर्थिक दृष्टि यानी रहन-सहन और जीविका के आधार पर मुख्यतः तीन प्रकार की श्रेणियों में बंटी हुई है। सबसे नीचे की श्रेणी में ऐसे करोड़ों लोग हैं, जो किसी तरह कभी आधा और कभी पूरा पेट खा-पीकर और मामूली ढंग से रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं। गाँव के किसान और खेतिहर मजदूर तथा नगर के सामान्य जन और छोटे कारीगर इसी श्रेणी के लोग हैं। इनके ऊपर की श्रेणी में लाखों और करोड़ों ऐसे लोग हैं, जो पढ़े-लिखे हैं। गाँव में उनके पास खेत हैं और शहर में अपने मकान हैं। ये लोग मध्यम श्रेणी में आते हैं। ये ज्यादातर नौकरी या रोजगार करते हैं। ये सुन्दर कपड़े पहनते हैं, कुछ अच्छा खा-पी लेते हैं, और अगर चाहें तो अपनी आमदनी में से भविष्य के लिए कुछ बचा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सचमुच कुछ बचाने की कोशिश करते हैं। इस श्रेणी के लोग अपने से ऊपर के लोगों की शान-शौकत और सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ये जैसे-तैसे आमदनी से ज्यादा खर्च करने के अभ्यासी होते हैं।

तीसरी श्रेणी में वे लोग हैं, जो बड़े कारखानों, मिलों या व्यापारी प्रतिष्ठानों के मालिक हैं। बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी और व्यापारी फर्मों के मैनेजर जिनकी तनखाह हजारों रुपये मासिक है, वे भी इसी श्रेणी के लोग हैं। खाने-पीने, पहनने-

आढ़ने या परिवार की आर्थिक तंगी की समस्या इनके सामने नहीं है। इनकी मुख्य समस्या समृद्धि और विकास की सीढ़ी पर ऊँचे-से-ऊँचे पहुँचने की होती है यानी जो लखपती है वह करोड़पती बनने में अपनी सार्थकता मानता है और जो करोड़पती है वह अरबपती बनने के मनसूबे रखता है !

इन तीनों श्रेणियों के लोगों की स्थिति में इतना अन्तर है कि ये तीन अलग-अलग दुनिया के लोग माने जा सकते हैं।

सरकार के बजट पर विचार करने की इन तीनों की अपनी-अपनी अलग-अलग कसौटियाँ हैं। पूँजीपती मानते हैं कि नये-नये



सरकारी अर्थनीति

उद्योगों में अपनी पूंजी लगाकर वे देश का उत्पादन बढ़ाने को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए बजट ऐसा होना चाहिए कि उन्हें उत्पादन से लाभ होता रहे और उस लाभ को वे नये-नये उद्योगों की स्थापना में लगाते जायं।

मध्यम श्रेणी के लोगों का मानना है कि देश का राजतंत्र, अर्थ-तंत्र, प्रशासन-तंत्र और शिक्षा-तंत्र उन्हींकी बदौलत कायम है। वैज्ञानिक, तकनीशियन, इंजीनियर, वकील, डाक्टर, प्रशासक, अर्थशास्त्री, पत्रकार, नेता और शिक्षाविद् के रूप में यह वर्ग देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने का गौरव अनुभव करता है। यह वर्ग चाहता है कि उसे सुखी और भरा-पूरा जीवन बिताने लायक वेतन मिले। मंहगाई बढ़ने पर यह वर्ग मंहगाई-भत्ता की मांग करता है और मांग पूरी न हो तो हड़ताल और आन्दोलन का सहारा लेता है।

जो लोग निचली श्रेणी में हैं, उनकी ओर से अभी तक कोई जोरदार दावा नहीं पेश किया गया है। ये लोग खेतों में अनाज उपजाते हैं, कारखानों और उद्योगों में पसीना बहाकर अपनी जीविका चलाते हैं और सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा के लिए मरमिटने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इन लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है। अपने देश में लोकतांत्रिक शासन-पद्धति है, इसलिए इनमें से हरेक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इस वोट के अधिकार के कारण इस वर्ग का राजनैतिक महत्त्व स्वयंसिद्ध है। यह वर्ग जिस दल या व्यक्ति को अपना वोट दे देता है, वही देश का भाग्य-विधाता बन जाता है। देश के राजनैतिक ढाँचे में तो इस वर्ग को उचित महत्त्व मिल गया है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक ढाँचे में इसका कोई स्थान नहीं है।

उच्च श्रेणी के लोग धाज स्वर्ग-सुख से घिरे हुए हैं। मध्यम श्रेणी के लोग लौकिक सुख यानी जीवन की आम सुविधाओं जैसे रेडियो, बिजली और मोटरगाड़ी इत्यादि का उपभोग कर ले पा रहे हैं। और तीसरी श्रेणी के लोगों की जिन्दगी नरक की यातना में जैसे-तैसे बीत रही है। उनकी आशाएँ-आकांक्षाएँ भरपेट खाने, तन ढँकने और नीरोग रहकर जीने तक सीमित हैं।

इस वर्ष के बजट के नये कर-प्रस्ताव में उद्योगपतियों को नीचे लिखी रियायतें दी गयी हैं—

१—सूती कपड़ा, जूट, ऊन और चाय का उत्पादन करने-वाले उद्योगपति दूसरे देशों में अपना माल सस्ता बेच सकें इसके लिए उन्हें चालू कर-प्रस्ताव में छूट दी गयी है। इस छूट से सरकारी कोष को २३ करोड़ रुपये का घाटा होगा।

२—नायलोन के १ किलो घागे पर पहले ५ रु० कर लगता था वह घटाकर अब ३ रु० कर दिया गया है। इस छूट से सरकारी कोष को १ करोड़ ७३ लाख का घाटा होगा। इसी प्रकार बिजली की भट्टियों में स्क्रप हस्तांतरण गलानेवाले उद्योगों को १ करोड़ तथा लेमनचूस बनानेवाले उद्योगों को ८० लाख की छूट देने की व्यवस्था की गयी है।

३—सूत और जूट के कारखानेदारों को सरकारी करों से ५ वर्ष के लिए मुक्त कर दिया गया है।

४—कारखाने के हिस्सेदारों को वर्ष में ५०० रु० से अधिक मुनाफा मिलता था उन पर कर लगाने की व्यवस्था थी। अब १ हजार रुपये तक मुनाफा पानेवालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस छूट को लागू करने पर सरकारी कोष को ८ करोड़ का घाटा होगा। नये कर-प्रस्तावों में जहाँ धनी-वर्ग को रियायतें मिलती हैं वहीं मध्यम वर्ग के लोगों का कर-भार निम्न अनुसार बढ़ा है :—

१—जिन लोगों की वार्षिक आय १० हजार से १५ हजार रुपये तक है, उनके आय-कर की दरें १५ रु० सैकड़े की जगह १७ रुपया सैकड़ा कर दी गयी है। और जिनकी आय १५ हजार से ऊपर और २० हजार से कम है उनकी आय-कर की दर २० रु० सैकड़ा से बढ़ाकर २३ रु० सैकड़ा कर दी गयी है। आय-कर सम्बन्धी इस कर-वृद्धि के साथ-साथ रासायनिक खाद, पेट्रोल मशीनरी, बिजली के पम्प, महीन कपड़े, रेयन, बाजार में बिकने-वाली चीनी और सिगरेट पर लगनेवाला कर भी बढ़ाया गया है।

श्री मोरारजी देसाई ने बजट-प्रस्ताव में गरीबों से सम्बन्धित किसी वस्तु पर नया कर नहीं लगाया है, इसलिए इतना तो है कि गरीबों पर तत्काल कोई नया बोझ नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन असलियत यह है कि मध्यम श्रेणी पर या उच्च श्रेणी पर जो भी कर-भार बढ़ता है उसे वे किसी-न-किसी प्रकार नीचे के लोगों पर लाद देते हैं। वकील और डाक्टर तथा अन्य विशेष योग्यतावाले लोग अपनी फीस बढ़ा लेते हैं, और सरकारी कर्मचारी घूस या नाजायज आय से अपने घाटे की पूर्ति कर लेते हैं। सबका आखिरी बोझ बेचारी गरीब जनता ही बरदाश्त करने पर मजबूर होती है। अतः ऊपर-ऊपर से ये कर-प्रस्ताव गरीबों के प्रति चाहे जितने अनुकूल दिखाई देते हों, लेकिन दरअसल देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था गरीब का खून घूसकर अमीर की और अमीर बनाने का एक यंत्र बनी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। •

गाँव—बस गाँव !

चुनाव हो चुका। सरकारें भी बन गयीं। बंगाल में संयुक्त वामपंथी फ्रण्ट की, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट लोगों की संख्या अधिक है, सरकार बनी है। पंजाब में अकाली दल और जनसंघ ने मिलीजुली सरकार बनायी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी है। बिहार में कांग्रेस के साथ कुछ दूसरी पार्टियाँ भी हैं। हमारे देश का संविधान ही ऐसा है कि एक ही देश में अलग-अलग तरह की सरकारें बन जाती हैं, और कभी-कभी तो एक राज्य और दूसरे राज्य की सरकार में, या किसी राज्य की सरकार और दिल्ली की सरकार में, ऐसी नोक-झोंक शुरू हो जाती है कि लगने लगता है, जैसे ये एक देश की सरकारें हैं ही नहीं।

इस वक्त उत्तर भारत में पंजाब, बंगाल और मध्यप्रदेश में गैर-कांग्रेसी मिली-जुली सरकारें हैं। गुजरात, राजस्थान, उ०प्र०, बिहार, और असम में कांग्रेसी सरकारें हैं। दक्षिण भारत में उड़ीसा, मद्रास और केरल की तीन सरकारें गैर-कांग्रेसी हैं। महाराष्ट्र, आन्ध्र, और मैसूर में कांग्रेस का शासन है। इन सबके ऊपर दिल्ली में पूरी-पूरी कांग्रेसी सरकार है।

मध्यावधि चुनाव के बाद जो चार नयी सरकारें बनी हैं वे बन तो गयी हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि किस राज्य की सरकार कितने दिन चलेगी ! पहले यह माना जाता था कि एक ही दल की सरकार होगी तो टिकाऊ होगी, लेकिन अब तो वह बात भी नहीं रही। हर पार्टी में गद्दी की छीना-झपटी इतनी अधिक हो गयी है कि जिसे गद्दी नहीं मिलती वह दूसरों से मोल-तोल करने लगता है, और कोशिश करने लगता है कि दूसरी सरकार बने, ताकि उसको भी जगह मिल जाय। यह तोड़-फोड़ बराबर होता रहता है। एक बार सरकार किसी तरह बन भी जाती है तो दिन-रात उसे यही चिन्ता रहती है कि किसी तरह सरकार बनी रहे। ठीक इसके उलटे, जो लोग सरकार नहीं बना पाते वे विरोधी बनकर दिन-रात इसी दौड़-धूप में रहते हैं कि किसी तरह उनकी सरकार बन जाय। राजनीति में सरकार ही ब्रह्मा है, सरकार ही विष्णु है, सरकार ही महेश है। राजनीति के कितने लोगों को चिन्ता है देश की, समाज की, गरीबों की ?

बड़ी भारी चिन्ता की बात यह है कि राज्यों में सरकारें

बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है, और किसी तरह काम चलता रहता है, यद्यपि जसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। सरकार अपनी जगह स्थिर न हो, सक्षम न हो, तो जनता का बड़ा अहित होता है। सोचिए, क्या होगा अगर दिल्ली में भी एक सरकार आज बने और कल बिगड़ जाय ? या, अगर मिली-जुली सरकार बने और पार्टियों में बराबर आपसी खींचतान होती रहे ?

स्वराज के बाद संविधान बनाते समय यह सोचा गया था कि देश में कई पार्टियाँ बनेंगी, और जनता को जिस पार्टी का विचार और कार्यक्रम अच्छा लगेगा उसके हाथ में वह शासन सौंपेगी। उस वक्त यह विचार बहुत अच्छा मालूम हुआ था, लेकिन इतने बरसों का अनुभव क्या बता रहा है ? इस मध्यावधि चुनाव में क्या हुआ ? ऊपर-ऊपर देखने में एक-दो-चार नहीं, एक-एक राज्य में बाईस-बाईस पार्टियाँ ख्वाड़े में उतरीं, लेकिन सचमुच अन्दर-अन्दर लड़ाई जातियों की हुई। कहीं ऊपर की जातियाँ आपस में लड़ीं, कहीं उनमें और 'बैकवर्ड' में टक्कर हुई, और कहीं 'बैकवर्ड' और 'नीचे की जातियाँ' मिलकर ऊपर-वालों से भिड़ीं। कुछ भी हो, ऐसा लगता था कि जाति ही सबसे बड़ी पार्टी है, और जातिवाद सबसे बड़ा नारा। जब ऐसी बात है तो क्या आश्चर्य है कि हमारी राजनीति जातिवाद की राजनीति बन गयी है।

यह तो था ही, इस बार चुनाव में जिस तरह वोट पढ़ा उसे देखकर समझ में नहीं आता कि यह राजनीति हमें कहीं ले जायगी। जहाँ जाइए, लोग यही कहते हैं कि इतनी बोगस वोटिंग पहले किसी चुनाव में नहीं हुई थी। चुनाव के दूसरे दिन गाँव के एक मित्र चुनाव के दिन का अपना अनुभव बता रहे थे। कहने लगे : 'कल दिन भर वोट दिया। वोट देते-देते थक गया।' सोचने की बात है कि उन सज्जन ने कितने सौ—सौ नहीं हजार—वोट दिये होंगे ! छोटे-छोटे बच्चों तक ने वोट दिये। कहीं कोई डंडा लेकर बैठ गया कि विरोधियों को वोट नहीं देने देंगे, तो कहीं कोई थैली खोलकर बैठ गया कि जितने वोट चाहेंगे नोटों से खरीद लेंगे।

यह सब क्या हो रहा है ? क्या इसमें सन्देह रह गया है कि हमारी राजनीति दलवाद से जातिवाद और अब बोगसवाद पर उतर आयी है ! और, इस तरह जो सरकार बनती है उससे हम भरोसा करते हैं कि देश की स्वतंत्रता कायम रखेगी, सबके जान-माल की रक्षा करेगी, गरीबी मिटायेगी, रोजगार देगी ! कौन मानेगा कि ऐसी सरकार में यह सब करने की शक्ति हो सकती है ?

“माँ, पंडितजी मोटे क्यों हैं ?”

नन्दू—“माँ अपने यहाँ जो पंडितजी आते हैं, वे इतने मोटे क्यों हैं? क्या वे खूब अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए इतने मोटे हैं?”

निर्मला—“वे अच्छा-अच्छा खाने के कारण मोटे नहीं हुए, सिर्फ बैठे रहने और सोते रहने से मोटे हुए हैं।”

नन्दू—“सच कहती हो माँ या हँसी करती हो? मैं भी तो बैठता हूँ और सोता हूँ, फिर मैं भी मोटा क्यों नहीं हो जाता?”

निर्मला—“तू खूब खेलकर थक जाता है तब सोता है। पंडितजी कुछ काम नहीं करते। बस, उनका काम है खाना, पूजा-पाठ करना और सोना।”

नन्दू—“माँ, काम न करें तो मोटे कैसे होते हैं?”

निर्मला—“खाने से शरीर में गर्मी और शक्ति पैदा होती है। उसी शक्ति से हम काम कर सकते हैं। यदि काम न करें तो वह शक्ति खर्च नहीं होती और शरीर में चर्बी बढ़ जाती है। शरीर में जितनी ही चर्बी बढ़ती है, शरीर उतना ही मोटा हो जाता है।”

नन्दू—“माँ, पंडितजी का पेट कितना बड़ा है? बेचारे ठीक से चल भी नहीं सकते। उन्हें सोते हुए देखकर डर लगता है। खूब खुरटि लेते हैं।”

नन्दू की ये बातें सुनकर निर्मला की हँसी रोकने लगी। वह बोली—“चुप! बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।”

बचपन में सभी बच्चे चंचल और नटखट होते हैं। यह अलग बात है कि सभी का नटखटपन एक जैसा नहीं होता। जैसे हाथ की सब उँगलियाँ एक बराबर नहीं होतीं उसी तरह सब बच्चों की चंचलता कम या अधिक हुआ करती है।

नन्दू निर्मला का तीसरा बच्चा है। निर्मला का पहला लड़का रामनाथ १३ साल का है। दूसरी लड़की उर्मिला ६ साल की और रामानन्द ७ साल का हो गया है। बड़े लड़के को निर्मला प्यार में रामू कहकर पुकारती है और छोटे को नन्दू।

→लेकिन सचमुच असहाय होने की बात नहीं है। जरूरत है सोच-समझकर नया कदम उठाने की। इतना तय है कि गाँव-गाँव में फैली हुई जनता को अब साहस करके सामने आना पड़ेगा। उसे संगठित होकर अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, और कहना होगा। ‘अब न दल, न जाति, बल्कि गाँव, बस गाँव।’

निर्मला को रामू और उर्मिला ने बचपन में उतना परेशान नहीं किया था, जितना नन्दू ने। रामू जब छोटा था तो खेल-खिलौने से खेलने में व्यस्त रहता था। निर्मला ने रामू के खेलने के लिए बहुत-सी चीजें इकट्ठी कर दी थीं। वह उसी सबमें उलझा रहा था। लेकिन नन्दू ऐसा नहीं है। वह नयी चीजों से कुछ देर खेलकर उनसे अलग हो जाना चाहता है। ऐसा लगता है, जैसे उसका मन खिलौने से बहुत जल्दी ऊब जाता है। नन्दू अपने भाई-बहन के मुकाबले ज्यादा नटखट और बातूनी है। वह तरह-तरह के सवाल पूछकर निर्मला को इतना तंग करता है कि जब वह जवाब नहीं दे पाती तो कह पड़ती है—“अभी मुझे बहुत काम करने को पड़ा है, जाँ अपने भैया से पूछ ले।” यह उत्तर सुनकर नन्दू अकड़ जाता है और कहता है—“भैया से नहीं पूछूँगा, जाओ।” निर्मला को जैसे हार मानते हुए कहना पड़ता है—“अच्छा मुझसे ही पूछना, पर अभी मुझे धन्धा करने दे।” निर्मला अकसर इसी तरह के बहाने बनाकर नन्दू के सवालों को टालना चाहती है और नन्दू ऐसा नटखट है कि हमेशा नये-नये ढंग के सवाल पूछता रहता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जिनका भटपट आसान-सा जवाब दिया जा सकता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, जिनका उत्तर देना निर्मला की समझ के बाहर की चीज हो जाती है। ऐसे ही प्रश्नों को वह टालना चाहती है तो कह देती है—“इस सवाल का जवाब तुझे रामू बतायेगा।” नन्दू को इस प्रकार के उत्तर से चिढ़ है। उसे रामू के साथ खेलना पसन्द है, लेकिन उससे कुछ पूछना उसे नहीं आता। नन्दू चाहता है कि वह जो सवाल अपनी माँ से पूछे उसका जवाब उसे माँ से ही मिले। उसे अपनी माँ से जवाब पाने में जो तसल्ली और खुशी अनुभव होता है वह रामू से नहीं। नन्दू को माँ की गोद में बैठना, गर्दन से लटक जाना और माँ से माँगकर कुछ खाना अच्छा लगता है। रामू के साथ उसे खेलना और घूमना अच्छा लगता है, लेकिन उससे सवाल पूछने का जो नहीं होता।

निर्मला जैसी न जाने कितनी बहाने घेर-गृहस्थी और बच्चों के लालन-पालन सम्बन्धी अनेक समस्याओं से परेशान हैं! उन्हें उनकी परेशानी में कौन मदद पहुँचा सकता है, इसका भी उन्हें पता नहीं है। ‘गाँव की बात’ के पाठकों में से ऐसे कितने ही लोग होंगे, जिनके बच्चे तरह-तरह के सवालों से उन्हें तंग करते रहते हैं। यदि हमारे पाठकगण ऐसे प्रश्न हमारे पास लिख भेजें तो हम उन प्रश्नों का समुचित उत्तर ‘गाँव की बात’ में प्रकाशित करते रहेंगे।

बाहर किसीने पुकारा, “माँ, भिक्षा दो !” गुरो अम्मा चौके में बैठी मसाला पीस रही थी। वह बोली, “जाओ बाबा, अभी हाथ खाली नहीं है।”

बाहर फिर पुकार हुई, “माँ भिक्षा दो ! एक मुट्टी भिक्षा दे दो न गरीब को माँ !”

इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आँखों के सामने अपने छोटे भाई रामू का चित्र खिच गया। रामू ने एक दिन उससे इसी प्रकार भिक्षा माँगी थी। इसी प्रकार कहा था, “माँ, भिक्षा दो !”

रामू बेचारा जब छोटा-सा था, तब उसकी माँ मर गयी थी। उसने अनेक वर्ष तक छोटे भाई को बेटे की तरह लाड़-प्यार से अपने यहाँ रखा। रामू अपनी बहन को उसी प्रकार परेशान करता था, जिस प्रकार बेटे माताओं को परेशान करते हैं।

जब गुरो अम्मा की शादी हुई थी और ससुराल आयी थी, रामू को भी मानो दहेज के रूप में साथ ले आयी थी। उसका पति शंकर बेचारा एक सीधा-सादा व्यक्ति था, उसे पत्नी के साथ रामू का आना अखरा नहीं था। यद्यपि घर के अन्य लोगों ने नाक-भौं चढ़ायी थी। लेकिन उसने देखा था, उसका साला एक पैर का लंगड़ा है और एक हाथ भी बिलकुल बेकार है। वह यह भी देखता था कि उसे अपनी बहन से उतना ही मोह है, जितना कि गुरो अम्मा उसे चाहती है। एक दिन गुरो अम्मा अपने पति से बोली थी, “देखो, मेरे भाई का बुरा न मानना। वह ज्यादा दिनों तक तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगा।”

“क्यों ?” शंकर ने पूछा था, “मैं यह कब कहता हूँ कि वह कुछ ही दिन यहाँ रहकर वापस लौट जाय।”

“वह एक भेद की बात है, अभी नहीं बताऊँगी।” उसने कहा था, “तुम चाहे जो कहो, यह घर उसका नहीं। उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं। कुछ साल बीत जायें तब। मैं उसे घर में नहीं रखूँगी।”

शंकर ने बातों ही बातों में इस भेद को जानना चाहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया।

पाँच वर्ष बीत गये। इस बीच गुरो अम्मा दो बच्चों की माँ बन गयी। रामू अब उससे जिद नहीं करता था, न सताता था। वह घर में कुछ ऐसा संयत रहता था जैसे बाहर का कोई अतिथि हो। वह बहुत कम किसीसे बोलता, बहुत कम घर की बातों में दिलचस्पी लेता। शंकर को उसकी यह चुप्पी अखरती थी। एक दिन वह गुरो अम्मा से बोला, “तुम्हारा भाई न जाने क्यों चुप-

चुप-सा रहता है, जैसे हम सबसे नाराज हो। तुम भी कुछ ऐसी ही हो, कि दो बच्चों की देखभाल में शायद उसको बिलकुल भूल जाती हो !”

शंकर ने आगे कहा, “मैं हमेशा इसके भविष्य के बारे में सोचा करता हूँ। अब यह चौदह बरस का हो चला है। दाढ़ी-मूँछें फूट पड़ी हैं ! मैं सोचता हूँ, इसे किसी काम में लगा दूँ। पर क्या काम करेगा यह ? चार अक्षर तो इसने पढ़े ही हैं। कोई छोटी-मोटी पान-बीड़ी की दूकान चला सकेगा।”

“नहीं, यह काम इससे नहीं होगा।” गुरो अम्मा बोली, “माँ ने मरते समय मुझे एक बात कही थी और मैंने वचन दिया था। अब वह वचन निभाने का समय आ गया है।” उसकी आँखें भर आयीं।

“कैसा वचन ?” शंकर को गुरो अम्मा की कई वर्षों पुरानी बात याद आ गयी और उसने फिर यह जानने की इच्छा प्रकट की।

गुरो अम्मा ने कहा, “अब रामू को यहाँ से जाने का समय आ गया है।” और वह आँसू पोंछने लगी।

रामनवमी के दिन राममन्दिर के बाबा स्वामी आनन्दजी घर पधारे थे। गुरो अम्मा ने सारी बातें उनके सामने रख दी थी। बोली थी, “बाबा, रामू माँ को बहुत कष्ट देकर पैदा हुआ था। दाई का कहना था, दोनों में से किसी एक का जीवन बचाया जा सकता है—पुत्र का या माँ का। माँ पुत्र को मरने देना नहीं चाहती थी और पुत्र के लिए खुद जीना चाहती थी। तभी माँ ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि पुत्र जीवित रहा तो वह उसे साधु-सम्प्रदाय में प्रवेश कर देगी। दस वर्ष पहले जब माँ मरी थी तब मुझे इस मनौती का भार सौंप गयी थी। मैंने वचन दिया था—माँ, ऐसा ही होगा। जब रामू चौदह वर्ष का हो जायेगा, उसे भगवान को सौंप दूँगी। और आज ...”

वह आगे कुछ न बोल सकी।

रामू रोकरा वह धारण किये शंकर के चरणों के निकट बैठा था और अबोध आँखों से बहन की ओर देख रहा था।

गुरो अम्मा रामू से लिपट गयी थी। बोली थी, “जाओ मेरे भाई, माँ की आत्मा को शान्ति पहुँचाओ। उसके वचनों का पालन करो।” वह फूट-फूटकर रोने लगी थी।

रामू ने घर से बाहर निकल द्वार पर खड़े होकर सबसे पहले अपनी बहन से भिक्षा माँगी थी। गुरो अम्मा ने रोते हुए, अपने कान्पते हाथों से एक नारियल, कुछ अरवा चावल और पाँच ताँबे के पैसे उसकी भोली में डालते हुए उसे नमस्कार किया था। और वह खूब फूट-फूटकर रोयी थी।

—गुणवचन सिंह

मैसूर राज्य में श्री-शक्ति को जगाने के लिए पूज्य माता कस्तूरबा के स्मरण में, १२ फरवरी को, सुरेबान (बापू के अस्थि-विसर्जन के स्थान) से चार बहनों की एक लोकयात्रा-टोली निकली।

सिर्फ तीन-चार दिनों में हमें कई अनुभव मिले। इनसे अच्छी तरह समझ में आता है कि आज की सामाजिक मान्यताओं की वजह से अनेक बहनों को अपना जीवन दुखी एवं संघर्षमय परिस्थिति में गुजारना पड़ता है। और इसी वजह से समाज को उनकी शक्ति का लाभ नहीं मिल पाता है।

यह सिर्फ इस इलाके की परिस्थिति नहीं है। सारे भारत में सामाजिक दृष्टिकोण ऐसा है कि बहुत जल्दी में लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। विवाहित जीवन बिताना प्रामाण्य पर मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जिस प्रकार भारत में समाज की मान्यता है कि पुरुष ब्रह्मचारी रह सकता है, उसी तरह श्री जिन्दगी भर ब्रह्मचर्य का संकल्प नहीं कर सकती। यह मान्य होते हुए भी विधवा होने पर जवान श्री या अबोध लड़की दुबारा शादी नहीं कर सकती है, जब कि पुरुष किसी भी उम्र में विधु रहने पर दुबारा, तिवारा, चौबारा विवाह कर सकता है।

इसमें कितना विरोधाभास है! एक तरफ तो पुरुष को ब्रह्मचर्य का संकल्प करने की इजाजत और दुबारा विवाह करने की भी इजाजत, दूसरी तरफ श्री को ब्रह्मचर्य का संकल्प करने की इजाजत नहीं, और वहीं प्राजीवन ब्रह्मचर्य रहने की जबर्दस्ती!

बचपन से ही लड़कियों के सामने उनका विवाह स्त्रियों के बीच मजाक का विषय बन जाता है। एक बार एक जवान बहन ने बड़े दुख और गम्भीरता से कहा, “जब मैं अपने में कमजोरियाँ पाती हूँ, और उनका कारण खोजती हूँ, तो मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब से स्त्रियाँ मुझे चिढ़ाती रहती थीं कि पुष्पा बहुत सुन्दर लड़की है, बड़ी होकर उसे अवश्य एक बहुत सुन्दर दुलहा मिल जायेगा।”

ऐसी सामाजिक कुरीतियों का फल भुगतनेवाली छोटी उम्र की तीन-चार बहनें हमें मिली हैं।

एक बहन शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह किया गया था। उसका पति मिलिटरी में है, शराबी है। उस बहन के तीन छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसका पति उनके लिए खर्च नहीं देता है। वह कहीं एक दूसरे नाजायज परिवार को पाल रहा है। वह बहन ग्रामसेविका

के काम के द्वारा अपने बच्चों का पालन कर रही है। जब उसका पति कभी छुट्टी में आता है, तो वह उसको पीटता है, कामनावश होकर उस पर बलात्कार करता है। इससे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है, और उस अकेली बहन के सिर पर ज्यादा-से-ज्यादा आर्थिक बोझ तथा नैतिक जिम्मेदारी बढ़ रही है। लेकिन न समाज में तलाक की मान्यता है, न समाज ऐसी बहनों की रक्षा के लिए कुछ कर रहा है। सिर्फ छोटी उम्र में उन्हें ऐसी परिस्थिति में फंसाकर, उनके भविष्य से अपने हाथ धो लेता है। शुरू में समाज की गलत मान्यताओं की वजह से, और बाद को समाज की उदासीनता की वजह से बहनों को इस प्रकार का दुखी और असुरक्षित जीवन बिताना पड़ता है।

इधर हमें एक उदाहरण मिला है। लगभग साठ वर्ष का बूढ़ा। जमीन काफी है, बड़ा भक्त भी है, लेकिन जीने की कला से बिलकुल अनभिज्ञ। उसके तीन विवाह हो चुके थे, तीनों पत्नियाँ मर चुकी थीं। तीसरी पत्नी का देहान्त हुए एक वर्ष भी नहीं हुआ कि उसने उन्नीस वर्ष की एक लड़की के साथ अपना चौथा विवाह कर लिया। जरा सोचिए, उस लड़की का भविष्य क्या होगा?

एक समझदार और संयमी लड़की का मामला अभी-अभी सामने आया है। वह बहुत मेहनती है। परिवार गरीब है, उसके कई छोटे भाई-बहन हैं। पिता ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सब कुछ होम किया, उसमें भी त्यागी जीवन का प्रोत्साहन मिला। सारी परिस्थिति को देखकर, लड़की को विवाह करने की बिलकुल इच्छा नहीं है। वह अपने बृद्ध पिता को बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षण में मदद देना चाहती है। आजकल वह दिन में पाठशाला में पढ़ाती है। रात्रिशाला में भी राष्ट्रभाषा पढ़ाती है, छोटे भाई-बहनों के लिए गृहस्थी चलाती है, उसकी माँ देहात में रहकर कृषि का काम संभालती है और छुट्टियों में वह अम्बर चरखा चलाती है। लेकिन उसकी माँ उसकी शादी कराने पर तुली हुई है। ऐसी गरीब परिस्थिति में जब सदाचारी लड़की का विवाह किया जायेगा, तो क्या हम समझ नहीं सकते हैं कि ऐसे बेमेल विवाह की परिस्थिति में उसका जीवन दुखी होगा, उसका आदर्श मिट्टी में मिल जायगा?

ग्राम-स्वराज्य के द्वारा जो नया समाज बनाना है, इसमें ऐसी गलत रुढ़ियों पर गदाप्रहार करना होगा। लड़कियों को एक स्वावलम्बी और स्वाभिमानी जीवन बिताने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जवान बहनों की शक्ति का लाभ समाज-निर्माण में मिल सके ऐसा वातावरण बनाना होगा।

— सरलादेवी

आम के कीड़े

www.vinoba.in

आम भारत का मुख्य फल है। लगभग ६ लाख हेक्टेयर भूमि में आम की खेती की जाती है। इसके कीड़े इस फसल की बड़ी समस्या हैं। नीचे कुछ कीड़ों की जानकारी दे रहे हैं।

आम का मधुआ या अन्ह्राँ

पहचान—ये कीड़े हरे तथा भूरे रंग के $\frac{1}{2}$ इंच से $\frac{1}{4}$ इंच लम्बे होते हैं। इनका सिर चौड़ा तथा पूंछ नोकदार होती है। भारत में इनकी ३ किस्में पायी जाती हैं, जिनमें कुछ तनों पर, कुछ पत्तियों की दूसरी ओर तथा कुछ डालियों एवं फलों के डंठलों पर पायी जाती हैं। कीट-शिशु हल्के रंग के होते हैं और इनके पंख नहीं होते। इनके सिर पर तीन घन्बे पाये जाते हैं।

जीवन-चक्र—मादा गंदले सफेद रंग के अण्डे दिसम्बर से फरवरी तक आम की कोमल पत्तियों, फूलों या कलियों की नसों में देती है। अण्डों से ७ से ९ दिनों के बाद छोटे-छोटे पीले रंग के कीट-शिशु निकलते हैं और पत्तियों, फूलों तथा तनों का रस चूसते हैं। कीट-शिशु २ से ३ सप्ताह बाद ५ बार केंचुल छोड़कर प्रौढ़ हो जाते हैं। प्रौढ़ होने पर ये पेड़ों के आस-पास झाड़ियों में जहाँ ठंडक रहती है चले जाते हैं। अप्रैल के मध्य से जून के अन्त तक ये आम के तनों या पत्तियों की दूसरी ओर बैठे रहते हैं। दिन में तनिक भी छेड़ने पर ये मनुष्य की आँखों तथा मुँह पर आ बैठते हैं। वर्षा तथा जाड़े में इनकी संख्या कम हो जाती है। गर्मियों में ये कीड़े आम के अतिरिक्त दूसरे पेड़ों पर भी बैठते हैं, किन्तु उन्हें हानि नहीं पहुँचाते। १ वर्ष में इनकी २ पीढ़ियाँ होती हैं।

आक्रमण-काल—मार्च के अन्तिम सप्ताह से जून के अन्तिम सप्ताह तक इनका आक्रमण होता है।

प्रसार—ये कीड़े भारत में लगभग सभी आम उत्पन्न होनेवाले प्रान्तों में पाये जाते हैं। भारत के अलावा इनका आक्रमण पाकिस्तान और बर्मा में भी होता है।

हानि—ये आम के विनाशकारी कीड़े हैं। इनके कीट-शिशु और प्रौढ़ आम के कोमल तनों, कलियों और फूलों के रस चूसते हैं। टिकोरा के रस को भी ये चूसते हैं, जिससे वे झड़ जाते हैं। इनके आक्रमण के बाद आम पर फफूँद का भी आक्रमण होता है। कभी-कभी इनके आक्रमण से २० से २५ प्रतिशत तक हानि हो जाती है।

रोक-थाम—१. आम के पेड़ों के पास पानी देर तक नहीं रुकने देना चाहिए।

२. सूखी पत्ती, सूखी डाल आदि को छाँट देना चाहिए, जिससे आम के पेड़ को अधिक-से-अधिक सूर्य का प्रकाश मिल सके।

३. पाँच प्रतिशत डी०डी०टी०पाउडर को गंधक के पाउडर के साथ १-२ के अनुपात में मिलाकर आम के फूल लगने के समय १०-१५ दिन पर जब हवा नहीं रहे छिड़कना चाहिए।

४. प्रति पेड़ पर १ आउंस इंड्रैक्स २० ई० सी० को डेढ़ टोन (२७.३ लीटर) जल में घोलकर छिड़कना चाहिए।

बड़े-बड़े आम के पेड़ों पर दवाओं का छिड़काव यदि सम्भव हो तो यंत्रचालित मशीनों द्वारा करना चाहिए।

५. आम के फूलने के समय आम के पेड़ों पर मछली का तेल या रोजीन का घोल या ५० प्रतिशत जल में घुलनेवाली डी०डी०टी० पाउडर सवा सेर तथा लगभग २ छटाँक पायरो क्लोयड में मिलाकर २५ टोन जल में घोलकर जब हवा नहीं रहे छिड़कना चाहिए। यह घोल ४५ से ५० वृष्टों के लिए पूरा है।

आम की दहिया

पहचान—इसकी मादा लाल होती है, लेकिन देखने में सफेद लगती है, क्योंकि इनका शरीर सफेद दही जैसी चीज से ढंका रहता है। मादा को पंख नहीं होते। वह कोमल होती है और धीरे-धीरे चलती है। इसकी लम्बाई आधी इंच तथा चौड़ाई चौथाई इंच होती है। मादा और कीट-शिशु आम की नयी टहनियों पर गुच्छे-के-गुच्छे बैठे रहते हैं। नर के पंख का रंग गंदला रहता है। वे कम दिखाई देते हैं।

जीवन-चक्र—इसकी मादा पेड़ों पर से धीरे-धीरे घरती पर उतरकर इधर-उधर घूमती है और बाद में दरारों में ६ से १० अंगुल भीतर अप्रैल से मई तक ३०० से ४०० तक गुलाबी रंग के अण्डे देती है और उसके बाद मर जाती है। अण्डों से नवम्बर-दिसम्बर तक गंदले भूरे रंग के कीट-शिशु निकलते हैं। ये आम की नयी और कोमल टहनियों का रस चूसते हैं। मादा को बच्चे से प्रौढ़ होने तक ६०-६५ दिन और नर को लगभग ८०-८५ दिन लगते हैं। कीट-शिशु ३ बार केंचुल छोड़ने के बाद प्रौढ़ हो जाते हैं। प्रौढ़ मादा १ माह तक और नर १ सप्ताह तक जीवित रहते हैं। १ वर्ष में इनकी एक ही पीढ़ी होती है।

आक्रमण-काल—मार्च से मई तक।

प्रसार—ये कीड़े सम्पूर्ण भारत में आम पैदा होनेवाले क्षेत्र में पाये जाते हैं।

[आज गाँव की हर चीज शहर में चली जा रही है, मनमाने भाव में जा रही है, मजबूरी में जा रही है। जब ग्रामदान हो जायेगा तब भी क्या ऐसा ही होगा ? क्या गाँव की चीजों का भाव शहरवाले तय करेंगे ? विनोबाजी ने थोड़ा-सा संकेत किया है कि ग्रामसभा शोषण से कैसे बचेगी और अपने सामान का भाव खुद तय करेगी।—सं०]

अभी किसीने पूछा, बाबा का आंदोलन गाँवों में ही चलता है, शहरों में क्यों नहीं चलता ? शहरों में क्या है ? वहाँ न दूध है, न फल है, न तरकारी। शहरों में दूध नहीं है, प्याला है। अब यह प्यालेवाला दूधवाले पर दूटता है। ऐसी नौबत आयी है। इसलिए गाँववाले दूध बेचना छोड़ दें और पीपल के पत्ते में दूध पीयें। आप लोग क्या पसंद करेंगे, [हवा से भरा हुआ प्याला, कि दूध से भरा हुआ पत्तल का दोना ? लोग उस प्याले के पीछे पड़े हैं। बाहर से चीजें खरीदते हैं। मक्खन बेचते हैं, कपड़ा खरीदते हैं। बाबा का मंत्र है—मक्खन खाओ और कपड़ा बनाओ। कपड़ा एक आवश्यक बात है। गाँव में मक्खन खाना शुरू करेंगे तो शहर का व्यापारी गाँव में आयेगा, आपको पूछेगा—“मक्खन क्यों नहीं बेचते ?” आप उत्तर देंगे, “हमें फुसंत नहीं है, ग्रामसभा को पूछो।” व्यापारी ग्रामसभा के पास जायेगा—“क्या हुआ, पटना में मक्खन क्यों नहीं आता ?”

“हम बच्चों को मजबूत करने के लिए मक्खन खिलाते हैं। बच्चे मजबूत नहीं होंगे तो खेती कौन करेगा ? बैल भी कमजोर नहीं होने चाहिए तो बच्चे कमजोर कैसे चलेंगे ? एक बाबा हमारे गाँव में आया उसने कहा कि भागवत में लिखा है कि मक्खन

खाओ। बच्चों को मक्खन खिलाओ।” व्यापारी कहेगा, “शहर में भी तो बच्चे हैं।” “ठीक है। पाँचवाँ हिस्सा शहर में बेचेंगे, लेकिन भाव क्या देंगे ?”

इस तरह से भाव आपके हाथ में रहेगा। व्यापारी कहेगा, हम मक्खन १० रु० सेर नहीं, २० रु० सेर खरीदने के लिए तैयार हैं। ग्रामसभावाला कहेगा, रुपयों की कीमत घट गयी है। ८० रुपये सेर से कम में हम नहीं बेचेंगे। तो व्यापारी सोचेगा और कहेगा—ठीक है, ८० रुपये सेर ही सही। ग्रामसभावाला कहेगा, पैसे के लोभ में हम नहीं पड़ेंगे और ज्यादा नहीं बेचेंगे। पाँचवाँ हिस्सा ही बेचेंगे। हमें भी थोड़े पैसे की जरूरत है और आपको मक्खन की जरूरत है, इसलिए हम थोड़ा बेचेंगे।

यह सारा नाटक सुनने को अच्छा लगता है तो करने के लिए कितना अच्छा लगेगा !

चींटियों को अपने भविष्य की चिन्ता कभी नहीं होती। शास्त्रकार कहते हैं—“मनुष्य खतम होंगे, लेकिन चींटियाँ रहेंगी। आखिर में चींटियाँ ही रहेंगी, क्योंकि चींटियाँ छोटा-सा जीव है, लेकिन मिल-जुलकर काम करती हैं। एक चींटी को पता चला कि मिश्री का टुकड़ा पड़ा है तो वह अपनी शकैली कं. ताकत नहीं लगाती, हजारों को बुलाकर ले आयेगी और सब मिलकर वह टुकड़ा ले जायेंगे। बारिश में चींटियाँ कभी बाहर नहीं आती हैं। मक्खियों में इकट्ठा होकर काम करने की आदत नहीं होती, इसलिए बारिश में वह मर जाती हैं। •

→ रोक-थाम—१. पेड़ के २-३ हाथ ऊपर तनों पर ६ अंगुल चौड़ा लसदार कपड़ा लपेट देना चाहिए। ऐसे लसदार कपड़े ५ भाग रोजीन और ८ भाग रेंडी के तेल में पकाकर कपड़ों पर लपेटकर बनाये जाते हैं।

लसदार कपड़ों के स्थान पर चिकने कागज भी लगाये जाते हैं, जिससे कीड़े फिसलकर गिर पड़ते हैं और ऊपर नहीं चढ़ पाते।

२. बरसात के बाद और अप्रैल में बगीचों को मिट्टी उलटने-वाले हल से जोत देना चाहिए।

३. मध्य दिसम्बर में ग्राम की जड़ से २ फीट की ऊँचाई पर अच्छी तरह झाड़कर एक आउंस डाइड्रेक्स १८ ई० सी० को लगभग सवा सेर जल में घोलकर लगा देना चाहिए तथा ४ आउंस ५ प्रतिशत एल्ट्रेक्स पाउडर को जड़ के पास चारों ओर

मिट्टी में छिड़क देना चाहिए। यह क्रिया दिसम्बर से मार्च तक करनी चाहिए। ऐसा करने से कीट-शिशु पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते।

४. जिन पेड़ों पर इनका आक्रमण हुआ हो, उन पर मछली का तेल या रोजीन के घोल का छिड़काव करना चाहिए। सस्ता साबुन १ सेर, मिट्टी का तेल ५ सेर, जल १२ सेर, इनको १-८ के अनुपात में अच्छी तरह जल में मिलाकर वृक्षों पर छिड़कना चाहिए।

५. पेड़ों पर सवा सेर ५० प्रतिशत बी० एच० सी० या डी० डी० टी० के जल में घुलनेवाले पाउडर को २५ टिन जल में घोलकर यंत्र-चालित मशीन से छिड़कना चाहिए। यह रसायन ४५-५० पेड़ों के लिए पूरा है।

—शैलेन्द्र कुमार 'निर्मल'

'गाँव की बात' : वार्षिक चम्दा : चार रुपये, एक प्रति : अठारह पैसे

सम्पादक : राममूर्ति : सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, राजवाड, वाराणसी-१